XXXIX(a)-BR(H)-11

2C

P. N

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1901-I/14 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-9-15	आवेदक अभि. [illegible] को [illegible] कार्यवाही पर [illegible] पु. दि. 19-10-15 [signature] वाचक	[signature]
19-10-15	आवेदक को सूचना होने पर भी पुकार पर आवेदक उपस्थित नहीं हुआ [illegible] आवेदक [illegible] रुचि [illegible] प्रतीत नहीं होती [illegible] अतः प्रकरण [illegible] खारिज किया जाता है। [signature] सदस्य	

[कृ. प. उ.

न्यायालय –राजस्व मण्डल, मध्य–प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2013/I/निगरानी नि. 1807-I-14

1–जंमील उल्ला पुत्र अजीम उल्ला
2–खलील उल्ला पुत्र अजीम उल्ला
जातियान मुसलमान, निवासीयान
श्योपुर जिला श्योपुर म.प्र.

...........निगरानीकर्ता

बनाम

1–कमलेश पुत्र बीरबल जाति माली,
निवासी ग्राम मेवाडा तहसील व जिला
श्योपुर म.प्र.
2–सरपंच, ग्राम पंचायत मेवाडा
3–मौजा पटवारी, ग्राम मेवाडा
4–नायब तहसीलदार वृत–मानपुर
तह. व जिला श्योपुर म.प्र.

.............गैर निगरानीकर्ता

NOTARY
L.B.CHAUHAN
Area K. Dist. Sheopur
Reg.3301/...05
GOVT.OF M.P.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, श्योपुर के प्र.कं. 228/11–12/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 05.06.14 के विरूद्व म.प्र.भू.राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत है।

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य

यह कि ग्राम मेवाडा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1424/मि.1 रकबा 1.045 हेक्टेयर , सर्वे नं. 1451/मिन1 रकबा 2.006 हेक्टेयर का पट्टा खलील उल्ला का विधिवत रूप से व्यवस्थापन किया गया था जो न्यायालय की दायरा पंजी 211/93–94/अ–19 से विधिवत भूमि का व्यवस्थापन किया गया है। तथा ग्राम मेवाडा की भूमि सर्वे नम्बर 1451/मिन 2 जमील उल्ला पुत्र अजीम उल्ला को भी भूमि पर विधिवत व्यवस्थापन स्वीकार किया गया था और उसी समय से निगरानी–

क्रमंश:.......2